न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/07/2022	2022/16	04.02.2022	06.08.2024

1.चमनदेवी पुत्री श्री श्योनाथ पत्नी श्री रामौतार जाति जोगी निवासी खारेडा हाल बडौदामेव तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर राजस्थान।

——अपीलान्ट

बनाम

1.असरूप पुत्र शादी खां जाति मेव,
2.हाकमदीन पुत्र शादी खां जाति मेव,
3.रामजीलाल पुत्र श्योनाथ जाति जोगी निवासीयान ग्राम खारेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर।
4.तहसीलदार मालाखेडा जिला अलवर राजस्थान।

——रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार साहब मालाखेडा जिला अलवर दिनांक 03.12.2019 जिसके जरिये रेस्पाडेन्ट संख्या 4 द्वारा रेस्पाडेन्टान सं. 2 व 3 मे नाम इंतकाल संख्या 986 बेजा तोर पर स्वीकार किया गया बमुराद मनसुखी उक्त निर्णय व निरस्त किये जाने इंतकाल।

उपस्थितः—

01.श्री मूलचन्द चौधरी —वकील अपीलाण्ट
02.श्री विशम्भर दयाल गुप्ता —वकील रेस्पोडेंट्स

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार मालाखेडा जिला अलवर दिनांक 03.12.2019 नामान्तकरण संख्या 986 ग्राम खारेडा तहसील मालाखेडा से व्यथित होकर पेश की है। अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार साहब द्वारा उपरोक्त इंतकाल सख्या 986 दिनांक 03.12.2019 को मिन अपीलान्टा के पीछे बालाबाला स्वीकार किया गया है जिसकी जानकारी मिन अपीलान्टा को सर्वप्रथम दिनांक 09.01.2020 को हुई जबकि मिन अपीलान्टा के रेस्पाडेन्ट संख्या 1 व 2 ने कब्जे काश्त में रूकावट मजाहमत पैदा की तथा मिन अपीलान्टा द्वारा एतराज किया तो उन्होने बताया कि विवादित इंतकालाधीन आराजी रेस्पाडेन्ट संख्या—3 से खरीद कर ली है और अब वो आराजी मुतनाजा से अपीलान्टा को जबरन बेदखल कर कब्जा करेंगें जिस पर मिन अपीलान्टा ने उसी दिन तहसील जाकर जानकारी की एंव इंतकाल की नकल हेतु आवेदन पत्र पेश किया जो नकल दिनांक 14.01.2020 को सांयकाल प्राप्त हुई, इस प्रकार

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

जो देरी हुई है वह जानकारी के अभाव में हुई है जिसमें मिन अपीलान्टा की कोई बदयान्ती किसी प्रकार की नही थी। जिस स्थिति में इंतकाल स्वीकार करने की तारीख 03.12.2019 से जानकारी की तारीख दिनांक 09–01–2020 तक का समय धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत माफ किये जाने योग्य है कि जिस हेतु अलग से प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। विवादित इंतकालाधीन आराजी खसरा नम्बर–189 व अन्य आराजीयात मिन अपीलान्टा व रेस्पाडेन्ट संख्या–3 की पैत्रक आराजी है तथा रेस्पाडेन्ट संख्या–3 द्वारा बिना किसी हक व अधिकार के उक्त खसरा नम्बर 189 रकबा 1.56 हैक्टर वाके ग्राम खारेडा तहसील मालाखेडा के 1/2 हिस्सा में से 38 ऐयर अर्थात सम्पूर्ण रकबे का 38/156 हिस्सा बालाबाला रेस्पाडेन्टान सं. 1 व 2 को जरिये बयनामा विक्रय कर दिया गया जिसका इंतकाल संख्या–986 रेस्पाडेन्ट सं.4 द्वारा रेस्पाडेन्ट सं. 1 व 2 के नाम स्वीकार किया गया है।

तहसीलदार साहब उपरोक्त इंतकाल ने खिलाफ मौका व खिलाफ कानून बिना मिन अपीलान्टा को बुलाये हुए व बिना सुने हुए स्वीकार किया है। उक्त आराजीयात का ग्राम पंचायत भण्डोडी द्वारा रेस्पाडेन्ट रामजीलाल के हक में इंतकाल संख्या–872 दिनांक 05–04–2017 को स्वीकार किया गया था जिसकी अपील मिन अपीलान्टा द्वारा एस डी ओ अलवर के यहां दायर की हुई है जो अपील जेर तजवीज है, जिसकी जानकारी रेस्पाडेन्टान को बखूबी थी उसके बावजूद भी उक्त आराजी विक्रय कर इंतकाल दर्ज व स्वीकार किया गया है, जबकि कानूनन ऐसी स्थिति में इंतकाल स्वीकार किये जाने योग्य नही था, जो काबिल गौर अदालत श्रीमान है एंव अधिनस्थ न्यायालय की आज्ञा निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पाडेन्ट संख्या–3 के हक में जो इंतकाल संख्या–872 जरिये वसीयत स्वीकार किया गया था जिस वसीयत को भी मिन अपीलान्टा द्वारा चैलेन्ज किया हुआ है जो मुकदमा सिविल न्यायाध पीश मालाखेडा में जेर तजवीज हैं जिस स्थिति में भी विवादित इंतकाल संख्या 986 स्वीकार किये जाने योग्य नही था जो काबिल गौर अदालत श्रीमान है एंव अधिनस्थ न्यायालय की आज्ञा निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पाडेन्ट सं.3 के हक में जो वसीयत की थी उस वसीयत को श्योनाथ को करने का कोई हक व अधिकार किसी प्रकार का नही था चूँकि उक्त आराजी पैत्रिक सम्पत्ति थी जो श्योनाथ को उसके पिता छाज्या से प्राप्त हुई थी और मिन अपीलान्टान छाज्या की पोत्री है। जिससे यह पूरी तरह साबित है कि विवादित आराजी मिन अपीलान्टान की संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जो मिन अपीलान्ट को बहिस्सा बराबर विरासत में प्राप्त हुई है।

रेस्पाडेन्टान को यह भी बखूबी जानकारी थी कि उक्त आराजी के बाबत मिन अपीलान्टा द्वारा एक राजस्व वाद सहायक कलक्टर अलवर के यहां दायर किया हुआ है जिसमें मिन अपीलान्टा के अधिकार तैय होने है। उक्त वाद में पूर्व में स्थगन आदेश जारी था जिसकी अपील भी राजस्व अपील अधिकारी अलवर के यहां विचाराधीन है। जिसमे अस्थाई निषेधाज्ञा जारी है। रेस्पाडेन्ट संख्या–3 द्वारा उक्त बयनामा दिनांक 15–05–2017 को तस्दीक कराया था जिसका इंतकाल संख्या 986 दिनांक 03–12–2019को स्वीकार हुआ है इस प्रकार उक्त इंतकाल बयनामा के करीब ढाई वर्ष पश्चात स्वीकार किया गया है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

इस प्रकार उक्त इंतकाल साजबाज होकर स्वीकार किया है, जो संदेहपूर्ण है। कानूनन आराजी मुतनाजा के सम्बन्ध में जब दावा व अपील विचाराधीन हो तो ऐसी स्थिति में इंतकाल स्वीकार नही किया जा सकता है। रेस्पाडेन्टान को बूखबी जानकारी होते हुए भी बालाबाल मिन अपीलान्टा के हक व अधिकार जायल करने की नियत से विवादित इंतकाल स्वीकार किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। इन्तकाल दर्ज करने से पूर्व अधिनस्थ न्यायालय ने मिन अपीलान्टा से कोई एतराजात नही लिये लिये गये ना ही वारिसान की कोई जांच की गई तथा गलत तरीक पर इंतकाल दर्ज किया है। जो खिलाफ कानून व रिकार्ड होने से निरस्त किये जाने योग्य है। तहत अदालत द्वारा अपनी आज्ञा पारित करने से पूर्व मिन अपीलान्टा को नोटिस जारी किया जाकर बुलाना चाहिए था और सुनना चाहिए था तथा मौके की जांच करनी चाहिए थी लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध अपना निर्णय पारित किया है जो निर्णय निर्णय की तारीफ में नही आता है, जो काबिल गोर अदालत श्रीमान हैं। विधि विरूद्ध उपरोक्त इंतकाल स्वीकार करने से मिन अपीलान्टा के हकूक जायल होते है। भविष्य में मिथ्या मुकदमाबाजी बढने का अंदेशा है इसलिए इंतकाल निरस्त किया जाना आवश्यक है।

विवादित इंतकालाधीन आराजी में मिन अपीलान्टा के हित निहित है तथा उक्त इंतकाल से मिन अपीलान्टा के हक व अधिकार प्रभावित हो रहे है। मिन अपीलान्टा को जानबूझकर सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया है जिस स्थिति में मिन अपीलान्टा को अपने अधिकारो की रक्षार्थ अपील पेश किया जाना आवश्यक है, जिस स्थिति में मिन अपीलान्टा को अपील पेश करने की इजाजत दिया जाना न्याय संगत है कि जिस हेतु प्रथक से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. पेश किया जा रहा है। अन्य उजात वक्त बहस जुवानी अर्ज किये जावेगे। अतः अपील अपीलान्टा पेश कर निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मालाखेडा द्वारा पारित इंतकाल संख्या 986 दिनांक 03.12.2019 निरस्त फरमाया जावे। आपकी अति कृपा होगी। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंन्ट्स जरिये अभिभाषक उपस्थित। तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। रैस्पोडैन्ट्स द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, सीधे बहस करना चाहते हैं।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। अपील में तथ्य निहित होने से एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

वकील उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अध्ययन व अवलोकन किया। बहस पर चिन्तन–मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। अपील में अंकित तथ्य एवं बहस का मिलान किया गया। रिकॉर्डानुसार नामान्तरण बेचान

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

के आधार पर जारी किया गया है। नामान्तकरण जारी करने में विधिक प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं किया है। नामांतरण जारी करने एवं निर्णित करने में किसी प्रकार की प्रक्रियागत त्रुटि नहीं पाई जाती है। निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपील अपीलान्ट सारहीन हाने से अस्वीकार किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 06.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी0 आर0 मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
(द्वितीय) अलवर (राज)

न्या० अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि०
राजस्थान
सरकार
प्रशासन (द्वितीय) अलवर